

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

29⁹/₂₅

पत्रावली पैसा है। वार-वार इलाज दिलाने पर भी वारी तक उनके अधिकारता उप मही हुए अतः मु० नं० 122/2022 इनका न शिरजि तसाद बनाना स्टैट ऑफ राजस्थान का वाकं वीवणा खोतारारी अरम पैरी अरम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पैसा ल सुमाद होरु वासतकमाल नं० से कम की जाऊः राखिल उपर हो।

शरिय खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करोली)

जिला न्यायाधीश
जिला न्यायाधीश
जिला न्यायाधीश

जिला न्यायाधीश
जिला न्यायाधीश

जिला न्यायाधीश
जिला न्यायाधीश

जिला न्यायाधीश
जिला न्यायाधीश
जिला न्यायाधीश